न्यायालय, सिविल जज सि0डि0, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–73 / 2015

बुल्लक राय वगैरह.....वादीगण

बनाम

असरफी राय वगैरह.....प्रतिवादीगण

04.11.25 अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 की ओर से अपने प्रतिवाद–पत्र संशोधन हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–19.03.2025 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक–21.06.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में प्रतिवादीगण ने यह निवेदन किया है कि विक्रेता के उत्तराधिकारी प्रतिवादी तृतीय पक्ष ने विवादित भूमि के संबंध में रजिस्ट्री बंदोबस्त दिनांक–25.08.1933 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी है जो कि दस्तावेज सूची सहित दिनांक–30.01.2025 को दाखिल की गई है। प्रतिवादी तृतीय पक्ष के पूर्वज देव करण राय वगैरह हैं, जिनसे प्रतिवादी की माता संझरिया देवी ने विवादित भूमि वर्ष, 1980 में क्रय की थी। उपरोक्त दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में न्याय के हित में आवेदक प्रतिवादी के दिनांक–11.08.2015 के लिखित बयान में संशोधन करना आवश्यक है। उक्त संशोधन से न्याय–निर्णयन में सुविधा होगी तथ न्याय का उद्देश्य पूरा होगा। उपर्युक्त संशोधन औपचारिक प्रकृति का है और इससे वादी के हित प्रभावित नहीं होंगे और न ही मुकदमें की प्रकृति पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित संशोधन का विवरण आवेदन के अंत में दिया गया है जो कानून और दस्तावेजों के संदर्भ में है जिसे बाद में किसी भी चरण में संशोधित किया जा सकता है। हथुआ स्टेट के मैनेजर एडविन एवत साहब ने रजिस्ट्री बंदोबस्ती दिनांक–25.08.1933 के माध्यम से विवादित भूमि और अन्य भूमि सरयुग नारायण राय को हस्तांतरित कर दी। लिखित बयान में इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि संशोधन आवेदन को स्वीकृत करते हुए प्रतिवादीगणों को लिखित कथन में संशोधन करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में वादी ने यह निवेदन किया है कि प्रतिवादी को उपरोक्त आवेदन दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादी साक्ष्य कराकर वाद को लंबित रखने के आशय से एवं वादी को नुकसान पहुँचाने हेतु आवेदन दाखिल किया है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन को खर्चा सहित खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु लंबित है तथा प्रतिवादीगण का अपने आवेदन में अपने द्वारा दाखिल प्रतिवादपत्र में संशोधन करने का निवेदन किया गया है, जिसमें बंदोबस्ती कागजातों का जिक्र प्रतिवादी द्वारा किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तावित संशोधन वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन एवं उभय पक्षों के मध्य विवादित प्रश्नों के अभिनिर्धारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है, आवेदन काफी विलंब से दाखिल किया गया है। तद्नुसार प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन न्यायहित में मो0 1000 / – रुपये खर्च के साथ स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर प्रतिवाद–पत्र में अपना आवेदनांकित प्रस्तावित संशोधन दर्ज करते हुए अपना साक्ष्य अविलंब पूर्ण करें।

अभिलेख दिनांक–**25.11.2025** वास्ते करने संशोधन वादपत्र में एवं प्रतिवादी साक्ष्य हेतु।

सिविल जज सि0डि0,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।